कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in, Tel.No. 07453-230244

क्रमांक एफ( ) एफ.सी.ए./उवसं/19-20/ 9693 दिनांक :- 20-9-19

निमित्तः–

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
कोटा।

विषय :– हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना तहसील किशनगंज के बांध निर्माण में आने वाली वन भूमि अनापत्ति से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने बाबत।

संदर्भः– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर की EDS दिनांक 22.08.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उक्त प्रकरण मे प्रधान मुख्य वन संरक्षक जयपुर के पत्र दिनांक 22.08.2019 के कम मे प्रकरण मे निम्न विन्दुओ पर लगाये गये आक्षेपो की इस कार्यालय एवं यूजर एजेन्सी द्वारा पूर्ति कर रिपोर्ट निम्नानुसार प्रेषित की गई है :–

क्र.सं.	EDS dated 22.08.2019	Reply of EDS
1	बिन्दु संख्या एक की पालना नही। प्रस्ताव के फार्म ए. के पार्ट 1 डी–(i) में डेम की ऊचाई की औचित्यता सिद्र करने हेतु डेम ऊचाई को 1–1 मीटर (थ्री डी मॉडल में) कम करते हुए प्रभावित वन क्षेत्र/सी.सी.ए./पानी लेवल की गणना संलग्न की गई है किन्तु उसमें डेम लाईन एवं डूब क्षेत्र (14.9963 एवं 271.4737 है0) अंकित किया गया है। जबकि ऑनलाईन प्रस्ताव में डेम लाईन एवं डूब क्षेत्र (9. 521 एवं 276.949 है0) है उक्तानुसार इसमें संशोधित किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही इसमें इसके नक्शो(डी.जी.पी. एस) पर अंकन पर संलग्न नही किया गया है जो प्रस्तावित है।	यूजर एजेन्सी द्वारा वांछित अनुसार संशोधन कर प्रस्तुत दस्तावेज संलग्न है।
2	बिन्दु संख्या 2 की पालना के क्रम में प्रस्ताव के फार्म ए के पार्ट 1 F मे यूजर एजेन्सी द्वारा Approved Rehabilitation and Resettlement Plan के स्थान पर वचनबद्धता संलग्न की गई है प्रस्ताव में अब तक की गई कार्यवाही विवरण संलग्न किया जाना प्रस्तावित हैं किया जाना प्रस्तावित है।	यूजर एजेन्सी द्वारा Rehabilitation and Resettlement Plan के संबध में L.A.R.R Act 2013 की धारा 4 से 7 तक की कार्यावाही पूर्ण हो चुकी है। धारा 11 व 12 के तहत कार्यवाही विचाराधीन है इस आशय के पत्र संलग्न है।
3	बिन्दु संख्या 3 की पालना के कम में प्रस्ताव के फार्म ए के पार्ट 1 G मे यूजर एजेन्सी द्वारा Cost benefit Analysis में संशोधित एन.पी.वी. की दरे अनुसार दीया गया है। किन्तु क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि सही नही ली गई है।	यूजर एजेन्सी द्वारा संशोधित Cost benefit Analysis संलग्न कर दी गई है।
4	बिन्दु संख्या 4 की पालना अपूर्ण। प्रस्ताव के फार्म ए पार्ट 1 I में यूजर एजेन्सी द्वारा तीन पेच में गैर वन भूमि का विवरण Segment Wise KML File संलग्न किया गया है किन्तु ऑनलाईन संलग्न किये गये खसरावार विवरण में जिला कलक्टर द्वारा आरक्षित की गई भूमि का मिलान नही हो रहा है एवं Segment Wise KML File का पॉलीगॉन भी मिलान नही कर रहा है।	यूजर एजेन्सी द्वारा संशोधित Segment wise KML file संलग्न कर दी गई है। जिला कलक्टर के पत्रांक 6029–38 दिनांक 07.07.2008 द्वारा सेट अपार्ट की गई गैर वन भूमि के खसरा वार विवरण में ग्राम तिखोद के ख.न 96 की वन भूमि 5.50 है0 अंकित की गई है जो संभवतः सहवन से अंकित हो गई है क्योंकि खतोनी में उक्त ख.न. की कुल भूमि 5.05 है अंकित है। इसी कारण भूमि का मिलान नहीं हो पा रहा है।

Scanned by CamScanner

		खतौनी की प्रति संलग्न है।
5	बिन्दु संख्या 7 की पालना में उप वन संरक्षक, बारां द्वारा पार्ट II के बिन्दु संख्या 4 में वृक्षों की संख्या में संशोधन किया गया है किन्तु हार्ड प्रति में संलग्न दस्तावेज अनुसार 11586 आता है जबकि ऑनलाईन 11585 वृक्ष अंकित है जिसे संशोधन किया जाना प्रस्तावित है। एफ.आर.एल. 2 में सूचना संलग्न कर दी गई है।	बिन्दु संख्या 7 की पालना में वृक्षों की संख्या में संशोधन कर दिया गया है।
6	बिन्दु संख्या 8 की पालना के कम में उप वन संरक्षक, बारां द्वारा पार्ट II के बिन्दु संख्या 6 में प्रस्ताव से भूमि क्षरण की स्थिति में इरोजन के प्रति संवेदनशील नही होना अंकित किया गया है किन्तु ऑनलाईन संशोधन नही किया गया है।	बिन्दु संख्या 8 की पालना के कम में संशोधन कर दिया गया है।
7	बिन्दु संख्या 11 की पालना के कम में उप वन संरक्षक, बारां द्वारा निर्धारित प्रपत्र में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना संलग्न की गई है किन्तु प्रस्तावित योजना में क्षेत्र का अन्तर है। उक्त योजनाओं को ऑनलाईन प्रस्ताव में संलग्न की जानी है।	बिन्दु संख्या 11 की पालना के कम में निर्धारित प्रपत्र में संशोधित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना संलग्न कर दी गई है। उक्त योजनाओं को ऑनलाईन भी कर दिया गया है।
8	बिन्दु संख्या 12 की पालना अपूर्ण। उप वन संरक्षक, बारां द्वारा एन.पी.वी. की गणना 286.50 है0 की प्रस्तुत की गई है जबकि आवेदित वन क्षेत्र 286.47 है0 है।	बिन्दु संख्या 12 की पालना के कम में एन.पी.वी. की गणना आवेदित वन क्षेत्र 286.47 है0 हेतु संशोधित कर दी गई है।
9	बिन्दु संख्या 13 की पालना अपूर्ण। उप वन संरक्षक, बारां द्वारा पृथक–पृथक स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है जो कि एक ही ग्राम पाटूंदा के बने है जबकि गैर वन भूमि तीखोद एवं पाटूंदा ग्रामों में मिली है प्राप्त गैर वन भूमि के अनुसार स्थल उपयुक्ता प्रमाण पत्र बनाया जाना प्रस्तावित है। उक्त योजनाओं को ऑनलाईन प्रस्ताव में संलग्न की जानी है।	बिन्दु संख्या 13 की पालना के कम में प्राप्त गैर वन भूमि के अनुसार स्थल उपयुक्ता प्रमाण पत्र संलग्न है।
10	बिन्दु संख्या 14 की पालना नही। उप वन संरक्षक, बारां द्वारा वन भूमि का गजट नोटिफिकेशन की पूर्ति ऑनलाईन संलग्न की गई है किन्तु हार्ड प्रति में संलग्न नही है।	बिन्दु संख्या 14 की पालना के कम में वन भूमि के गजट नोटिफिकेशन की हार्ड प्रति संलग्न है।
B	**Additional Information is Required**	**Additional Information is Required**
	प्रस्ताव के पार्ट II में बिन्दु संख्या 3 में जिलावार प्रत्यावर्तित वन भूमि का विवरण संलग्न नही किया गया है।	प्रस्ताव के पार्ट II में बिन्दु संख्या 3 में जिलावार प्रत्यावर्तित वन भूमि का विवरण संलग्न कर दिया गया है।

अतः उक्तानुसार पालना रिपोर्ट मय दस्तावेज 4 प्रतियों में अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :– उक्तानुसार।

(महेश चन्द गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां

कमांक एफ( ) एफ.सी.ए. / उवस / 19–20 / **दिनांक :–**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1.अतिरिक्त प्रधान मख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.) राजस्थान जयुपर।

2.अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड तृतिय बारां।

(महेश चन्द गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां

Scanned by CamScanner